FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

शंकरलाल .... बनाम .... पीराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रेवा.अ. 88, 188 Rt Act .... नं. 211 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भारत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/01/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
8/1/2020	वादी वकील उप०। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। प्रतिवादी स्वयं या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील द्वारा साक्षी के रूप में PW-1 ~~व PW-2~~ ... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु [signature] 8/1/2020	[thumb impression] अंगूठा पीराराम शंकरलाल [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:02:59 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रतिवादी से। के साक्ष्य के रूप मे DW-1 शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय मुरत्तब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डीक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:02:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 211/2019

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. शंकरलाल पुत्र पीराराम जाति–जाट, निवासी–चीबी, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		1. पीराराम पुत्र लालाराम 2. उदाराम पुत्र चुतराराम जातियान्–जाट, निवासी–चीबी, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर 3. भूराराम पुत्र जेठाराम जाति–जाट निवासी–अकदड़ा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक 08/01/2020**

वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा चीबी पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 294.00 बीघा में आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज लालाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाल[illegible] कर, वादी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:02:59 IST
Reason: SelfAttested

ाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा लालाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी लालाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चीबी पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 294.00 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/1/2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:02:59 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1. शंकरलाल पुत्र पीराराम
   जाति–जाट, निवासी–चीबी,
   तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

बनाम

1. पीराराम पुत्र लालाराम
2. उदाराम पुत्र चुतराराम
   जातियान्–जाट, निवासी–चीबी,
   तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर
3. भूराराम पुत्र जेठाराम
   जाति–जाट निवासी–अकदड़ा
   तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–211 / 19. **निर्णय दिनांक :– 08.01.2020**

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.01.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चीबी पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 294.00 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के 1 / 2 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:02:59 IST
Reason: SelfAttested